रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन से तलब किया जावें। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.12.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

21/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 02.02.24 को पेश हो।

मनोहर

2/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री कुन्नी लाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण में प्राथमिक डिग्री जारी किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। प्राथमिक डिग्री जारी की जाती है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया। पत्रावली बइन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06/03/2024 को पेश हो।

No objection. प्रति स्वीकार
2.2.2024

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

6/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट क्रमांक भू-अ/2024/1029 दिनांक 27/02/2024 प्राप्त हो चुकी है। वकील उभयपक्ष द्वारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिग्री जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की है। अतः वकील उभयपक्ष की सहमति से तहसीलदार सीकर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिग्री जारी की जाती है तथा वादी संख्या 1 का नाम रिपोर्ट अनुसार दुरुस्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्तिम डिग्री पृथक से लिखी जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामू
(वकील वादी)

6/3/2024
(वकील प्रतिवादी)

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या:– 333/2023

1. मनोहर पुत्र कजोड जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
2. भंवरलाल पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर

–वादीगण–

बनाम

1. द्रोपदी देवी पुत्री मदनलाल जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
2. शांति देवी पत्नी मदनलाल जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
3. मंजू देवी पुत्री मदनलाल जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
4. संजू देवी पुत्री मदनलाल जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
5. संतोष देवी पुत्री मदनलाल जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
6. सीताराम पुत्र कजोड जाति सगरवंशी माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
7. तहसीलदार, तहसील सीकर जरिये लैण्ड होल्डर राजस्थान

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत बंटवारा एवं नाम दुरूस्ती अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट।

उपस्थित – वकील वादीगण–अधिवक्ता श्री रामनिवास
वकील प्रतिवादीगण – अधिवक्ता श्री चुन्नीलाल सैनी

तहसीलदार सीकर के द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव क्रमांक:– भू.अ./2024/1029 दिनांक 27.02.2024 के अनुसार अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति से

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार वादी संख्या 01 का राजस्व रिकार्ड में नाम मोहन पुत्र कजोड है जबकि वादी का सही नाम मनोहर पुत्र कजोड है जिसको स्वीकार किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	14.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	प्लीडर की फीस	36.00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामिल	12.00	कमिश्नर की फीस	
जोड़	64.00	जोड़	36.00

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी सीकर